

यस्य के नसी मिली है.

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सु. नं०

पा/१८


तारीख रजु

६-५-१८

उनवान - लूजमोहन बनाम कैलाशचंद्र एगारबेडा

दावा बाबत द्योषणा खोतदारी, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा वाकत द्योषणा खोतदारी, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा ९३, १००, १०८ के तहत प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज शिफ्ट कर प्रीमिडीगणों को जरिये सम्मन से तलाब कर दिनांक २७-५-१८ को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

२७-५-१८

वादी वकील उपरोक्त सम्मन आदालत कील जावन हीं कइत जात सम्मन तारीख राजस्व लोक अदालत कैम्प उदन में दि० १८-६-१८ को पेश हो।

1985-92
1-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर उदन में पेश हुई। आईन्दा दिनांक १-७-१८ को पेश हो।




वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी व/एट पंचायत है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक १६-८-१८ को पेश हो।

वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी व/एट पंचायत है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक २०-८-१८ को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

दिनांक २०-८-१८

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
1.2.21	बकुलाय उप/ गतनुसार दस्तावेज पेश करने / तनकी कायम करने दि० 8.3.21 को पेश होगा 
8.3.21	अवकाश घोषित
9.3.21	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक...5.4.21... को पेश हो। 
5.4.21	वकील वादी उपस्थित नहीं हैं। फर्द का आवाज दिलाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं हैं। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलल शुभार टेक नम्बर से कम होकर दारिखत दफ्तर हो।  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)